

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 30 दिसम्बर, 2024 पौष 9, 1946 शक सम्वत्

### विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 2673 / वि०स0 / संसदीय / 99(सं)-2024 लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2024

> अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पुर:स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता

है:—

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।
  - (2) यह दिनांक 17 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 4 में,-

- (क) उपधारा (1) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—
  - "(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट छः गैर सरकारी सदस्य अर्थात:—
    - (एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि;
    - (दो) पांच व्यक्ति, जिनमें से दो कृषक होंगे और तीन राज्य में गायों के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े होंगे।"
- (ख) उपधारा (2) में, शब्द ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन्

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999) गाय तथा गोवंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिये गो—सेवा आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुपंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 में उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें यह उपबंधित है कि आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे। वर्तमान में गो—सेवा/गो—संरक्षण के बढ़ते आयामों तथा गोवंश की बढ़ती संख्या एवं समय—समय पर आने वाली किठनाईयों/चुनौतियों के कारण, आयोग में दो अतिरिक्त गैर—सरकारी सदस्यों के पद का सृजन करके उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग का विस्तार/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया गया। उपर्युक्त के दृष्टिगत एक उपाध्यक्ष सहित दो अतिरिक्त गैर—सरकारी सदस्यों का पद सृजित करने के लिये पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूँिक राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश गो—सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

> धर्मपाल सिंह मंत्री, पशुधन।

#### उ०प्र० गो-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, २०२४ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

वर्तमान में उत्तर प्रदेश गो-सेवा/गो-संरक्षण के बढते हुए आयाम तथा बढती गोवंश की संख्या एवं कठिनाईयों/चुनौतियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग में दो अतिरिक्त समय-समय पर आ रही गैर-सरकारी सदस्य, जिसमें एक उपाध्यक्ष पद का सुजन कर कुल 06 गैर सरकारी सदस्य, जिसमें से एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, के दृष्टिगत उ०प्र० गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 4 में संशोधन किये जाने हेतु उ०प्र० गो-सेवा आयोग (संशोधन), विधेयक, २०२४ प्रस्तावित किया गया है।

2-उक्त विधेयक के प्रावधानों के प्रवर्तन में आने पर राज्य की समेकित निधि से व्यय अन्तर्ग्रस्त है। इस संबंध में लगभग रू० 2740000/- का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है।

> धर्मपाल सिंह मंत्री. पशुधन।

आज्ञा से. प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

#### UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 515/XC-S-1-24-35S-2024 Dated Lucknow, December 30, 2024

#### **NOTIFICATION** MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (Sanshodhan) Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 16, 2024.

#### THE UTTAR PRADESH GO-SEWA AYOG (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2024

## BILL

further to amend the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog (Sanshodhan) Short title and commencement Adhyadesh, 2024.
  - (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 17th day of September, 2024.

Amendment of section 4 of U.P. Act. no. 15 of 1999

- 2. In section 4 of the Uttar Pradesh Go-Seva Ayog Adhiniyam, 1999,-
- (a) in sub-section (1), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(i) six non-official members nominated by the Government from amongst the following persons, namely:-
  - (i) one representative of the Uttar Pradesh Goshala Sangh established under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964;
  - (ii) five persons of whom two shall be agriculturists and three shall be connected with voluntary organisations engaged in welfare, preservation and protection of cows in the State."
- (b) in sub-section (2), for the words "Chairperson and the Vice-Chairperson", the words "Chairperson and two Vice-Chairperson" shall be substituted.

Repeal and saving

- 3. (1) The Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (sanshodhan) Adhyadesh, 2024 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U.P. Ordinance no. 15 of 2024

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Act no. 15 of 1999) has been enacted to establish Go-Sewa Ayog for the preservation, development and welfare of cows and its progeny and to provide for matters related thereto or incidental thereto.

Section 4 of the aforesaid Act provides for the constitution of the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog. It provides that the Chairman and Vice-Chairman of the Commission shall be nominated by the Government from among the non-official members. At present, due to the increasing dimensions of cow service/cow conservation and the increasing number of cows and the difficulties/ challenges coming from time to time, it was felt necessary to expand/strengthen the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog by creating the post of two additional non-official members in the Ayog. In *view* of the above, it was decided to amend section 4 of the aforesaid Act to create the post of two additional non-official members, including one Vice-Chairman.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (U.P. Ordinance no.15 of 2024) was promulgated by the Governor on September 17, 2024.

The Uttar Pradesh Go-Sewa Ayog (Sanshodhan) Vidheyak ,2024 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

DHARAMPAL SINGH
Mantri,
Pashudhan.

By order, J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० ४२० राजपत्र–२०२५–(११३३)–५९९+२५+५=६२९ प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।